

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी का नाम :- यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 603/2019

- 1 बलजिन्द्र सिंह उर्फ बलविन्द्र सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 2 कर्मजीत कौर पत्नी बलजिन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 3 रणजीत सिंह पुत्र बलजिन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 4 हरभजन सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 5 सर्वजीत कौर पत्नी हरभजन सिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 6 सतनाम सिंह उर्फ सतवीर सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 7 नाजम सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 8 कर्मजीत कौर पत्नी नाजम सिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 9 अमृतपाल सिंह पुत्र नाजम सिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम

- 1 जगराज सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :-


- 1 श्री रामकुमार सिहाग, राकेश कुमार सिहाग अधिवक्ता (वादीगण)
- 2 श्री रजनीकान्त अधिवक्ता (प्रतिवादी संख्या 1)

निर्णय

दिनांक :- 21/07/19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध अन्तर्गत 88,53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 37 एम.एम.के. जमाबंदी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 32/3 मु.न. 28 कि.न. 3/1 में 0.126 है. नहरी, कुल 0.126 है. नहरी आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। चक 37 एम. एम.के. जमाबंदी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 33/24 मु.न. 42 कि.न. 16/1, 17/1, 24, 25 में 0.886 है. नहरी मय खाला कुल 0.886 है. नहरी मय खाला आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। चक 37 एम. एम.के. जमाबंदी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 34/35 मु.न. 35 कि.न. 25 में 0.253 है. नहरी मय खाला, मु.न 40 कि.न. 1 ता 6, 7/1 में 1.581 है. नहरी मय गौ.मु. रास्ता खाता कुल खाता 1.834 है. नहरी मय गौ.मु. रास्ता खाला आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। चक 37 एम.एम.



  
उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर

के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 35/9 मु.न. 27 कि.न. 1 में 0.253 है। नहरी मय खाला, मु.न. 28 कि.न. 4 ता 7 में 1.012 है। नहरी, कुल खाता 1.265 है। नहरी मय खाला आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। चक 37 एम.एम.के. जमाबंदी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 36/8 मु.न. 46 कि.न. 11 ता 14, 15/1, 16 ता 19 में 2.226 है। नहरी मय म. मु. रासता कुल खाता 2.226 है। नहरी मय म. मु. रासता आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। चक 37 एम.एम.के. जमाबंदी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 37/78 मु.न. 49 कि.न. 7/2, 8 ता 10, 13/2, 14, 15 में 1.392 है। नहरी कुल खाता 1.392 है। आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। चक 37 एम.एम.के. जमाबंदी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 51/72 मु.न. 22 कि.न. 1 में 0.253 है। नहरी, मु.न. 23 कि.न. 21, 22, 23/1 में 0.696 है। नहरी कुल खाता 0.949 है। नहरी आराजी वादीगण संख्या 1, 4, 7, 8 के नाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। चक 42 एम.एम.के. जमाबंदी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 43/44 प.न. 40/196 मु.न. 16 कि.न. 21 ता 25/1 में 1.100 है। नहरी कुल खाता 1.100 है। नहरी आराजी वादी संख्या 1, 4, 7, 8 के नाम ब.हि.व. दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। चक 39 एम.एम.के. जमाबंदी सम्वत 2072-2075 खाता संख्या 38/37 मु.न. 38 कि.न. 10/2, 11 ता 13 में 0.885 है। नहरी कुल खाता 0.885 है। नहरी आराजी वादी संख्या 1, 4, 7, 8 के नाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न वादपत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम मद संख्या 2 ता 7 में दर्ज आराजी के अलावा चक 42 एम.एम.के. में 4 बीघा व चक 4 यू. एम.डब्ल्यू में 5 बीघा आराजी दर्ज कागजात माल है, वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 हिन्दू विधि से शासित है एव वादाधीन आराजी सहदायिकी समपति है, एववादीगण के नाम दर्ज आराजी वादीगण को अपने दादा से विरासतन प्राप्त हुयी है जो कि वादीगण संख्या 1, 4, 7, 8 के नाम दर्ज आराजी का वादीगण ने काशत की सहूलियत से पारिवारिक बंटवारा कर लिया है एव मुताबिक पारिवारिक बंटवारानुसार अपने अपने हक हिस्सा की आराजी को शांतिपूर्वक काशत करते आ रहे है, जो कि प्रतिवादी संख्या 1 को मद संख्या 2 ता 7 में दर्ज आराजी के अलावा अन्य चकों में दर्ज आराजी एव चक 37 एम एम के में पारिवारिक बंटवारानुसार शेष बची आराजी प्राप्त हुयी है जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज होकर काशत करता आ रहा है। दावा की मद संख्या 12 में कब्जा काशत दर्शायी गयी। वगैरा-वगैरा।

लिहाजा वाद वादीगण मय शपथ पत्र दो प्रतियों में पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे:-


- (1) यह कि चक 37 एम.एम.के. मु.न. 22 कि.न. 25 में 0.253 है। नहरी, मु.न. 23 कि. न. 21, 22 प्रत्येक में 0.253 है। नहरी, कि.न. 23/1 में 0.190 है। नहरी कुल 0.696 है। नहरी कुल 0.949 है। नहरी आराजी वादी संख्या 1 बलजिन्द सिंह को खातेदार काशतकार घोषित किया जावे एव इस हद तक खाता संख्या 51/72 से वादी संख्या 4, 6, 7 का नाम कलमजन किया जावे।
- (2) यह कि चक 37 एम.एम.के. मु.न. 28 कि.न. 3/1 में 0.126 है। नहरी, कि.न. 6 में 0.253 है। कि.न. 7 में 0.253 है। नहरी कुल 0.632 है। नहरी आराजी की वादी संख्या 2 कर्मजीत कौर को खातेदार काशतकार घोषित किया जावे एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

यह कि चक 37 एम.एम.के. मु.न. 27 कि.न. 1 में 0.228 है। नहरी, 0.025 है। खाला मु.न. 28 कि.न. 4 में 0.253 है। नहरी, कि.न. 5 में 0.253 है। नहरी, कुल 0.506 है। नहरी कुल 0.759 है। नहरी मय खाला आराजी का वादी संख्या 3



*(Signature)*  
 उपस्थित अधिकारी संज्ञक  
 सादलश

- रणजीत सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।
- (4) यह कि चक 37 एम.एम.के. मु.न. 35 कि.न. 25 में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. खाला, मु.न. 40 कि.न. 1 ता 4 प्रत्येक में 0.215 है. नहरी, 0.038 है. गै.मु. रासता, कि.न. 5 में 0.190 है. नहरी, 0.038 है. गै.मु. रासता, 0.025 है. खाला, कि.न. 6 में 0.228 है. नहरी 0.025 है. खाला, कि.न. 7 में 0.063 है. नहरी कुल 1.534 है. नहरी मय गै.मु. रासता कुल 1.834 है. नहरी मय गै.मु. रासता आराजी का वादी संख्या 4 हरमजन सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।
- (5) यह कि चक 37 एम एम के मु.न. 42 कि.न. 16/1 में 0.190 है. नहरी, कि.न. 24 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 25 में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. खाला कुल 0.696 है. नहरी मय खाला आराजी का वादी संख्या 5 रणजीत कौर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।
- (6) यह कि चक 37 एम.एम.के. मु.न. 49 कि.न. 7/2 में 0.038 है. नहरी, कि.न. 8 में 0.140 है. नहरी, कि.न. 13/2 में 0.089 है. नहरी, कि.न. 14 में 0.088 है. नहरी कुल 0.355 है. नहरी आराजी, चक 42 एम.एम.के. प.न. 40/196 मु.न. 16 कि. न. 21, 22, 23, प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 24 में 0.240 है. नहरी, कि.न. 25/1 में 0.101 है. नहरी कुल 1.100 है. नहरी आराजी, चक 39 एम.एम.के. मु.न. 38 कि.न. 10/2 में 0.126 है. नहरी, कि.न. 11, 12, 13 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 0.885 है. नहरी कुल तीनों चकों की 2.340 है. नहरी आराजी का वादी संख्या 6 सतनाम सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव चक 42 एम एम के व चक 39 एम एम के से वादी संख्या 1, 4 व 7 का नाम कलमजन किया जावे एव चक 37 एम एम के से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।
- (7) यह कि चक 37 एम.एम.के. मु.न. 49 कि.न. 9 में 0.113 है. नहरी, कि.न. 10 में 0.253 है. नहरी कुल 0.366 है. नहरी आराजी का वादी संख्या 7 नाजम सिंह के हक हिस्सा की आराजी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।
- (8) यह कि चक 37 एम.एम.के. मु.न. 46 कि.न. 16 में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. गै. मु. रासता, कि.न. 17, 18, 19 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 1.012 है. नहरी मय गै.मु. रासता आराजी की वादी संख्या 8 कर्मजीत कौर पत्नी नाजम सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।
- (9) यह कि चक 37 एम.एम.के. मु.न. 46 कि.न. 11, 12, 13, 14 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 15/1 में 0.202 है. नहरी कुल 1.214 है. नहरी आराजी का वादी संख्या 9 अमृतपाल सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।
- (10) यह कि अनूतोष की मद संख्या 1 ता 9 के अनुसार वादीगण का खाता अलग कायम किया जावे एव रेवेन्यू अलग से कायम की जावे।
- (11) यह कि वादाधीन आराजी में वादी संख्या 1 का नाम दुरूस्त किया जाकर 'बलविन्द्र सिंह पुत्र जगराज सिंह' के स्थान पर 'बलजिन्द्र सिंह पुत्र जगराज सिंह' का नाम दुरूस्त किया जाकर 'सतवीर सिंह पुत्र जगराज सिंह' के स्थान पर 'सतनाम सिंह पुत्र जगराज सिंह' दर्ज किये जाने का आदेश फरमाये जाने की कृपा करे।



म.प.खण्ड अधिकारी स.न.स.  
सादलश

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकवाल दावा पेश कर वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जवाब स्टेट पेश हुआ , राज्यहित को ध्यान में रखते हुये वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने वादी के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की, एव वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया हमने पत्रावली का अवलोकन किया वादीगण एव प्रतिवादी के मध्य पारिवारिक बंटवारा हुआ है एव वादी एव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है एवं मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वादीगण एव प्रतिवादी ने एक दूसरे की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है, वादाधीन आराजी संयुक्त परिवार की सम्पति है, एव वादी द्वारा सहदायिकी सम्पति में घोषणा एव खाता तकसीम की मांग की है ,एव प्रतिवादी संख्या 1 का खाता अलग कायम है जिसमें किला विशेष आराजी पर कब्जा काश्त के समबध में कोई विरोध नहीं है, इस प्रकार वादीगण ने अपने दावा को दस्तावेजी साक्ष्यों, इकवाल कथनों व बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है एवं मैं वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता हूं।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :-

- (1) चक 37 एम.एम.के. मु.न. 22 कि.न. 25 में 0.253 है. नहरी, मु.न. 23 कि.न. 21, 22 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 23/1 में 0.190 है. नहरी कुल 0.696 है. नहरी कुल 0.949 है. नहरी आराजी का वादी संख्या 1 बलजिन्द्र सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक खाता संख्या 51/72 से वादी संख्या 4, 6, 7 का नाम कलमजन किया जाता है।
- (2) चक 37 एम.एम.के. मु.न. 28 कि.न. 3/1 में 0.126 है. नहरी, कि.न. 6 में 0.253 है. कि.न. 7 में 0.253 है. नहरी कुल 0.632 है. नहरी आराजी की वादी संख्या 2 कर्मजीत कौर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।
- (3) चक 37 एम.एम.के. मु.न. 27 कि.न. 1 में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. खाला मु.न. 28 कि.न. 4 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 5 में 0.253 है. नहरी, कुल 0.0506 है. नहरी कुल 0.759 है. नहरी मय खाला आराजी का वादी संख्या 3 रणजीत सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।
- (4) चक 37 एम.एम.के. मु.न. 35 कि.न. 25 में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. खाला, मु. न. 40 कि.न. 1 ता 4 प्रत्येक में 0.215 है. नहरी, 0.038 है. गै.मु. रासता, कि.न. 5 में 0.190 है. नहरी, 0.038 है. गै.मु. रास्ता, 0.025 है. खाला, कि.न. 6 में 0.228 है. नहरी 0.025 है. खाला, कि.न. 7/1 में 0.063 है. नहरी कुल 1.534 है. नहरी मय गै.मु. रासता कुल 1.834 है. नहरी मय गै.मु. रासता आराजी का वादी संख्या 4 हरभजन सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।
- (5) चक 37 एम एम के मु.न. 42 कि.न. 16/1 में 0.190 है. नहरी, कि.न. 24 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 25 में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. खाला कुल 0.696 है. नहरी मय खाला आराजी की वादी संख्या 5 सर्वजीत कौर को खातेदार



*(Signature)*  
उपखण्ड अधिकारी राजस्व  
सादुलशहर

- काश्तकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।
- (6) चक 37 एम.एम.के. मु.न. 49 कि.न. 7/2 में 0.038 है. नहरी, कि.न. 8 में 0.140 है. नहरी, कि.न. 13/2 में 0.089 है. नहरी, कि.न. 14 में 0.088 है. नहरी कुल 0.355 है. नहरी आराजी, चक 42 एम.एम.के. प.न. 40/196 मु.न. 16 कि.न. 21, 22, 23, प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 24 में 0.240 है. नहरी, कि.न. 25/1 में 0.101 है. नहरी कुल 1.100 है. नहरी आराजी, चक 39 एम.एम.के. मु.न. 38 कि.न. 10/2 में 0.126 है. नहरी, कि.न. 11, 12, 13 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 0.885 है. नहरी कुल तीनों चकों की 2.340 है. नहरी आराजी का वादी संख्या 6 सतनाम सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव चक 42 एम. एम. के. व चक 39 एम. एम. के. से वादी संख्या 1, 4 व 7 का नाम कलमजन किया जाता है एव चक 37 एम. एम. के. से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।
- (7) चक 37 एम.एम.के. मु.न. 49 कि.न. 9 में 0.113 है. नहरी, कि.न. 10 में 0.253 है. नहरी कुल 0.366 है. नहरी आराजी का वादी संख्या 7 नाजम सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।
- (8) चक 37 एम.एम.के. मु.न. 46 कि.न. 16 में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. गै.मु. रासता, कि.न. 17, 18, 19 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 1.012 है. नहरी मय गै.मु. रासता आराजी की वादी संख्या 8 कर्मजीत कौर पत्नी नाजम सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।
- (9) चक 37 एम.एम.के. मु.न. 46 कि.न. 11, 12, 13, 14 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 15/1 में 0.202 है. नहरी कुल 1.214 है. नहरी आराजी का वादी संख्या 9 अमृतपाल सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।
- (10) वादीगण संख्या 1 व 6 को प्राप्त आराजी में वादी संख्या 1 का नाम दुरुस्त किया जाकर 'बलविन्द्र सिंह पुत्र जगराज सिंह' के स्थान पर 'बलजिन्द्र सिंह पुत्र जगराज सिंह' एव वादी संख्या 6 का नाम दुरुस्त किया जाकर 'सतवीर सिंह पुत्र जगराज सिंह' के स्थान पर 'सतनाम सिंह पुत्र जगराज सिंह' दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

उक्तानुसार ही वादीगण का खाता अलग अलग कायम किया जाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/07/20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में मुनाश्या गया।



यशपाल आहूजा (भार ए एस.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
सादलपुर  
सादलपुर